प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
महोबा, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/NHM/Visit Report/2022-23/ 1868 दिनांकः 20.12.2022

**विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद महोबा की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद महोबा की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 12 से 15 दिसम्बर, 2022 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है। भ्रमण के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–

1. सी.एच.ओ. के पी.बी.आई. का भुगतान अप्रैल, 2022 से नही किया गया है।
2. जन आारोग्य समिति का गठन नही हुआ है।
3. ब्लाक जैतपुरा में आशाओं का भुगतान माह अगस्त, 2022 से नही किया गया है।
4. नेशनल प्रोग्राम एव परिवार नियोजन से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान इस वर्ष में आशाओं को नही किया गया है।
5. रोगी कल्याण समिति के खातों का रिनूयल नही कराया गया है एवं रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित व्यय शून्य है।
6. सपोर्टिव सुपरविजन एवं आर.बी.एस.के. की गाडियों का भुगतान किया जाना लम्बित है।
7. जे.एस.वाई. डाइट एवं जे.एस.वाई. लाभार्थियों का भुगतान किया जाना लम्बित है।
8. जनपद में अभी तक सब सेन्टर के अन्टाइड का व्यय इस वर्ष में नही किया गया है।
9. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों पर लैब टेस्ट से सम्बन्धित उपकरण की उपलब्धता पर्याप्त नही है और जांचे नियमानुसार नही की जा रही है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक–विस्तृत भ्रमण आख्या।**

भवदीया

Aparna U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NHM/Visit Report/2022-23/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल, बांदा।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, महोबा, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चित्रकूट मण्डल, बांदा।

(श्री पराग वराड पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.

## भ्रमण आख्या– जनपद महोबा, 12–15 दिसम्बर

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री पराग वराड पाण्डे – महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.
2. श्री अजय कुमार वर्मा – परामर्शदाता एम एण्ड ई
3. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव – कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद महोबा का दिनांक 12 से 15 दिसम्बर तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है–

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कबरई

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कैम्पस के अन्दर इकाई के प्रवेश द्वार पर मरम्मत की जरुरत है।
2. इकाई पर किसी भी स्टाफ के द्वारा एपरेन एवं बैच का उपयोग नही किय जा रहा था।
3. औषधियों हेतु इन्डेंट इकाई के स्तर से मैनुएल रुप में किया जा रहा है।
4. फार्मेसी हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल हेतु उपयोग नही किया जा रहा है।
5. फार्मेसी के रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
6. मेडिसीन स्टाक से सम्बन्धित रिकार्ड का चिकित्साधिकारी के स्तर से वेरीफिकेशन नही किया गया था।
7. स्टोर में औषधियों को बिना किसी क्रम और सूची के रखी हुई थी।
8. दैनिक ओ.पी.डी. में कौन कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में वितरित हुई और कितनी शेष है इसका कोई रिकार्ड नही तैयार किया जा रहा था।
9. डेली कंजम्पशन रजिस्टर में औषधियों का नाम अंकित नही किया गया था।
10. फार्मेसी में रेबिज के इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन को सीधे डस्टविंन में डाला जा रहा था, हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
11. इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नही थी।
12. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।
13. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नही किया जा रहा था।
14. स्टोर में कालातीत औषधि पायी गयी।
15. ओ.पी.डी. रजिस्टर में उपचार का विवरण दर्ज नही किया जा रहा है।
16. लैब में उपयोग की जानी वाली समस्त सिरिंज को बिना हबकटर से कट किये हुये अन्य कचरे के साथ सीधे डस्टबिन में डाला जा रहा था।
17. वार्ड मे 100 वाट के बल्ब का उपयोग किया जा रहा था।
18. शौचालय चोक था।
19. काउन्सलर के कक्ष में प्रकाश कम था। यहां अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था की आवश्यकता है।
20. प्रसव कक्ष में प्रवेश के समय शू कवर उपलब्ध नही था।
21. मैनुअल सक्शन मशीन कियाशील नही थी।
22. रेडियंट वार्मर अकियाशील थी।

23. प्रसव कक्ष की डिजीटल क्लाक कियाशील नही थी।
24. कैलीसपैड पंचर थे।
25. जे.एस.एस.के. डाइट में दिये जा रहे भोजन हेतु थाली के जगह डिस्पोजल प्लेट का उपयोग किया जा रहा है।
26. जे.एस.एस.के. डाइट में दिये जा रहे भोजन प्रोटोटाइप के अनुसार पूर्ण नही दिया जा रहा था।
27. लैब में 3 पार्ट हीमोटोलाजी एनालाइजर एवं बायो केमिस्ट्री अकियाशील थी।
28. लैब में एडरनील एवं फेनीरागीन इन्जेक्शन कालातीत पायी गयी।
29. आर.के.एस. का रिनीयूल कराया जाना शेष है, जोकि जून, 2022 में कालातीत हो गया है।
30. ब्लाक में सपोर्टिव सुपरविजन की गाडी नही लगी हुई है।
31. आर.बी.एस.के. टीम को बुलाये जाने पर भी उपस्थित नही हुई।
32. आशाओं का भुगतान माह अक्टूबर तक किया जा चुका है एवं माह नवम्बर का भुगतान प्रोसेस ब्लाक स्तर से किया जा चुका है।

**जिला महिला चिकित्सालय – महोबा**

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी।
2. पार्किंग व्यवस्था उचित रुप से नही की गयी है।
3. लेबर रुम के स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। स्टाफ नर्स को कैलीसपैड में कैसे हवा भरी जाती है ये भी जानकारी नही थी।
4. लेबीटाल टेबलेट कालातीत पायी गयी।
5. प्रसव कक्ष में प्रवेश के समय शू रैक उपलब्ध नही था।
6. लेबर रुम में फोकश लाइट की आवश्यकता है।
7. फ्रीजर की मरम्मत/ नवीन की आवश्यकता है।
8. केसशीट पूर्ण रुप से नही भरी जा रही है।
9. ए.एन.सी. से सम्बन्धित रिकार्ड एवं एच.आर.पी. रिकार्ड इकाई पर उपलब्ध नही था।
10. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था।
11. लैब के अन्दर किये जाने समस्त जांचो की सूची को प्रदर्शित नही किया गया है।
12. चिकित्सालय में कई जगह खुले हुये बिजली के तार थे, जिनको ठीक कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
13. अल्टासाउण्ड की मशीन है, परन्तु सम्बन्धित स्टाफ न होने के कारण इसका उपयोग नही किया जा रहा है।
14. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. की जा रही थी, परन्तु ए.एन.एम. के पास बी.पी. इन्सटूमेंट, हाइट स्केल, वजन मशीन उपलब्ध नही था।
15. ए.एन.एम. को हाई रिक्स प्रेगनेंसी के लक्षणों के विषय में जानकारी नही थी।
16. ए.एन.एम. के द्वारा हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
17. ए.एल.एस. एम्बुलेंस के टोल फ्री नं. के साथ अन्य प्राइवेट मो.न. सूचना पट्टिका पर प्रदर्शित पाया गया, जिसको हटवाते हुये भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के सम्बन्ध में निर्देर्शित किया गया।
18. 102 एम्बुलेंस से लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा रही थी, परन्तु सभी रिकार्ड पूर्ण नही थे, जिनको पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
19. जनपदीय अधिकारियों से फिजिकल वेरीफिकेशन रिपोर्ट को ससमय राज्य पर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

## नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – भाटीपुरा

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। भवन को रिलोकेट किये जाने की आवश्यकता है।
2. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाये गये।
3. निरीक्षण के समय 47 मरीजों को ओ0पी0डी0 में देखा गया था।
4. लैब में की जाने वाली समस्त जॉचों को प्रदर्शित किया जाये।
5. स्टाफ को ओरिंटेसन की आवश्यकता है।
6. स्टाफ नर्स को आटोक्लेव एवं आक्सीजन सिलेण्डर का उपयोग कैसे किया जाना है इस विषय में जानकारी नही थी।
7. प्रसव हेतु उपकरण उपलब्ध नही पाये गये।
8. रेफ्रीजेटर अकियाशील था एवं कोई भी उपकरण ए.एम.सी. में कवर नही किया गया है।
9. गर्भवती महिलाओ का इकाई पर एम.सी.पी. कार्ड नही भरा जा रहा है।
10. स्टोर में औषधियों को अस्त व्यस्त रुप में रखा गया था।
11. आई.यू.सी.डी. इकाई पर नही लगायी जा रही है।
12. उपरोक्त से विदित हो रहा था कि स्टाफ नर्स के द्वारा कार्यो में रुचि नही ली जा रही है।
13. रेफरल स्लीप पूर्ण उपलब्ध नही थी।
14. अग्निशमन यन्त्र खाली पाया गया इसे रिफिल कराये जाने की आवश्यकता है।
15. इकाई पर ई0डी0एल0 की समस्त औषधियों की सूची प्रदर्शित नही थी।

## हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, शाहपहारी, ब्लाक – कबरई

1. उपकेन्द्र पर तैनात ए.एन.एम. सुशीला के द्वारा 01 दिसम्बर के उपरान्त उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर नही किये गये थे और न ही वो इकाई पर भ्रमण के दौरान उपस्थित पायी गयी।
2. इकाई पर सी.एच.ओ. मधु शर्मा उपस्थित पायी गयी।
3. इकाई पर समस्त रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
4. लैब टेस्ट के सम्बन्धित रिकार्ड नही बनाये गये है।
5. हीमोग्लोबिनोमीटर इकाई पर उपलब्ध नही थे।
6. ग्लूकोमीटर उपलब्ध था, परन्तु इकाई पर कोई भी जॉच नही की जा रही है।
7. इकाई पर कई औषधियां कालातीत पायी गयी।
8. सी.एच.ओ. के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
9. मेडिसीन स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
10. उपरोक्त तथ्यों एवं भौतिक स्थिति से विदित होता है कि सी.एच.ओ. के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है।
11. इकाई पर इन्वर्टर एवं इंटरनेट की व्यवस्था नही की गयी है।

## हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, सलारपुर, ब्लाक – कबरई

1. इकाई पर सी.एच.ओ. उपस्थित पाये गये।
2. मरीजों के जॉच हेतु उपयोग की जा रही टेबल पर गोपनीयता हेतु परदे की व्यवस्था नही की गयी है।
3. इकाई पर समस्त रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये।
4. हीमोग्लोबिनोमीटर इकाई पर उपलब्ध नही थे।

5. ग्लूकोमीटर उपलब्ध था, परन्तु इकाई पर कोई भी जॉच नही की जा रही है।
6. बी.पी. इन्सटूमेंट अकियाशील था।
7. इकाई पर औषधियां कालातीत पायी गयी।
8. सी.एच.ओ. के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
9. मेडिसीन स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
10. इकाई पर इन्वर्टर एवं इंटरनेट की व्यवस्था नही की गयी है।
11. इस वित्तीय वर्ष में इकाई पर अन्टाइड फंड का उपयोग नही किया गया है।

**वी.एच.एन.डी. सत्र टिन्डौली, उपकेन्द्र–सलारपुर, ब्लाक – कबरई**

1. ए.एन.एम. मुबीनुन निशा के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. सत्र स्थल पर आशा के द्वारा लाभार्थियों का बुलाया जा रहा था।
3. सत्र स्थल पर आगंनबाडी सहायिका उपस्थिति थी एवं कार्यकर्ती सेवा निवृत हो चुकी है।
4. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
5. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया।
6. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जॉचे नही की जा रही थी।
7. टैलीशीट पूर्ण नही पायी गयी।

**भ्रमण के दौरान संज्ञान में आये अन्य बिन्दु –**

1. सी.एच.ओ. के पी.बी.आई. का भुगतान अप्रैल, 2022 से नही किया गया है।
2. जन आारोग्य समिति का गठन नही हुआ है।
3. ब्लाक जैतपुरा में आशाओं का भुगतान माह अगस्त, 2022 से नही किया गया है।
4. नेशनल प्रोग्राम एव परिवार नियोजन से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान इस वर्ष में आशाओं को नही किया गया है।
5. रोगी कल्याण समिति के खातों का रिनूयल नही कराया गया है एवं रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित व्यय शून्य है।
6. सपोर्टिव सुपरविजन एवं आर.बी.एस.के. की गाडियों का भुगतान किया जाना लम्बित है।
7. जे.एस.वाई. डाइट एवं जे.एस.वाई. लाभार्थियों का भुगतान किया जाना लम्बित है।
8. जनपद में अभी तक सब सेन्टर के अन्टाइड का व्यय इस वर्ष में नही किया गया है।
9. जनपद में अभी तक सब सेन्टर के अन्टाइड का व्यय इस वर्ष में नही किया गया है।
10. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों पर लैब टेस्ट से सम्बन्धित उपकरण की उपलब्धता पर्याप्त नही है और जांचे नियमानुसार नही की जा रही है।
11. अप्रैल, 2022 से ब्लाक स्तर पर सर्पोटिव सुपरविजन के वाहन की व्यवस्था नही की गयी है।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य सभी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित प्रोग्राम कन्सलटेंट एवं डाटा एकाउन्ट मैनेजर के साथ वार्ता कर अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कमियों को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया।